ब अदालत व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 15 / 2025 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी / 2024 / तारीख दायर : 22–02–2025

इन्दु राणा पुत्री श्री बुधि सिंह, मोहला सुराड़ा, परगना खड़ौठ, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.—–राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

इन्दु राणा पुत्री श्री बुधि सिंह, मोहला सुराड़ा, परगना खड़ौठ, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, पैन कार्ड में इन्दु राणा पुत्री श्री बुधि सिंह दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त झुलाड़ा, उप–तहसील पुखरी में मेरा नाम इन्द्रा पुत्री श्री बुधि सिंह दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम इन्द्रा पुत्री श्री बुधि सिंह की जगह इन्दु राणा पुत्री श्री बुधि सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त झुलाड़ा को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22–02–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी।

विषय.—–जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1068/2025 दिनांक 22–01–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य

चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/3929, दिनांक 18—02—2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ—पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला, ग्राम पंचायत कन्दला, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 18—02—2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, की जन्म तिथि 21—02—1975 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27—02—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

—————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अनिल कुमार पुत्र श्री नीधिया राम, गांव व डाकघर चकलू, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप—मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1066/2025 दिनांक 22—01—2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/3928, दिनांक 18—02—2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) शिक्षा प्रमाण—पत्र जिसमें आवेदक अनिल कुमार पुत्र श्री नीधिया राम, गांव व डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की बेटी सुहानी भारद्वाज पुत्री श्री अनिल कुमार की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की बेटी सुहानी भारद्वाज पुत्री श्री अनिल कुमार, गांव व डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय

की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 18–02–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सुहानी भारद्वाज पुत्री श्री अनिल कुमार, गांव व डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, की जन्म तिथि 11–01–2007 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की बेटी सुहानी भारद्वाज पुत्री श्री अनिल कुमार, गांव व डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————